[illegible] आदेश सं0 236/1993

विषय:- प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर का कर्त्तव्य, दायित्व एवं शक्तियाँ ।

पुलिस [illegible] विद्यालय नाथनगर के परिचालन एवं [illegible] नियमावली एवं वर्ष 1903 में संकलित की गयी थी । उक्त नियमावली के नियम सं0 XIX में प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय का दायित्व एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया था । पुनः 1942 में आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर के परिचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक नियमावली सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसकी नियम सं0-9 में प्राचार्य के कर्त्तव्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया था । पुलिस हस्तक, 1970 में लागू होने के बाद उपर्युक्त नियमावली में प्राचार्य आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर के विहित कर्त्तव्य, दायित्व एवं शक्तियों के पुनरावलोकन की आवश्यकता पड़ी एवं प्रावधानों को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया। आम तौर पर आरक्षी उपाधीक्षक/अपर आरक्षी अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी ही प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर के रूप में नियुक्त किये जाते हैं । पुलिस हस्तक नियम - 825 एवं अनुसूची - 84 के मुताबिक दण्डविधान करने की शक्ति उक्त कोटि के पदाधिकारी को नहीं रही । पुलिस हस्तक नियम 668(स) में प्रदत्त शक्ति भी उक्त कोटि के पदाधिकारी उपयोग नहीं कर सकते हैं । इन प्रावधानों को मद्देनजर प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर के कर्त्तव्य, दायित्व एवं शक्तियों को निम्न प्रकार निर्धारित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया जाता है ।

1. प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर का कर्त्तव्य ।

(क) आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय के सभी कोटि के पुलिस तथा गैर पुलिस कर्मियों के व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी का कार्य प्राचार्य द्वारा सम्पादित किया जायेगा। (बिहार कोषागार संहिता अनुसूची- 7)

(ख) आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय में वाह्य एवं अन्तः प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण प्राचार्य द्वारा दैनिक एवं नियमित रूप से किया जायेगा ।

(ग) प्राचार्य, प्रत्येक कार्य दिवस में [illegible] कक्ष एवं अनुरोध कक्ष की कार्रवाई करेंगे एवं पुलिस हस्तक नियम 824(ए) (आई) एवं (जि) में विहित लघु सजा प्रदान कर सकते हैं । [illegible] सजा प्रदान करने हेतु विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए एवं अन्य लघु सजा प्रदान करने के लिए उनके द्वारा [illegible] अनुशंसा की जा सकती है ।

(घ) कर्त्तव्य परायण पुलिस कर्मी को एवं प्रशिक्षण में रूची लेने वाले आरक्षी प्रशिक्षुओं को प्राचार्य प्रशंसा कर पुरस्कार प्रदान करेंगे ताकि बल में दक्षता एवं कर्त्तव्यपरायणता को बढ़ावा मिले ।

(ङ) प्राचार्य, अपना छोड़कर अन्य सभी कोटि के कर्मियों के यात्रा-भत्ता विपत्र पारित कर निकासी करेंगे । उनका अपना यात्रा भत्ता विपत्र नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही निकासी की जायेगी ।

कृ0 पृ0 उ0 ...2

(छ) प्राचार्य प्रशिक्षुओं के दैनिक खेल कार्यक्रम में भाग लेंगें तथा उनकी उनसे समय अनौपचारिक वार्तालाप कर उनके कल्याण एवं सुख-सुविधा के प्रति जागरुक रहेंगें ।

(ज) प्रशिक्षुओं के भोजन एवं मेस परिचालना की ओर प्राचार्य निजी ध्यान देंगें तथा तत्सम्बन्धित कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे ।

(झ) प्राचार्य, प्रत्येक माह प्रशिक्षु एवं अन्य पुलिस कर्मियों की पुलिस सभा का आयोजन करेंगे तथा प्राप्त समस्याओं का समुचित निराकरण हेतु कार्रवाई करेंगे । पुलिस सभा की कार्रवाई एवं उनका अनुपालन प्रति माह आरक्षी उपमहानिरीक्षक (प्रशिक्षण) को समर्पित किया जायेगा ।

(ट) पुलिस हस्तक के नियमानुसार सभी सामयिक प्रतिवेदन एवं विवरणी प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षण मुख्यालय/आरक्षी उपमहानिरीक्षक (प्रशिक्षण) को नियमित रूप से समर्पित की जायेगी, यथा–मासिक बल विवरणी, मासिक प्रशिक्षण विवरणी, मासिक ईंधन व्यय विवरणी, विभागीय कार्यवाही विवरणी, मासिक मितव्ययन, छुट्टी एवं बिमारी विवरणी एवं मासिक नगद लेखा प्रमाण पत्र इत्यादि ।

2. <u>प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर का दायित्व ।</u>

(क) प्राचार्य, प्रशिक्षण विद्यालय के सामान्य परिचालना के लिए जवाबदेह रहेंगें । ये विहित सभी नियम आदेश एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(ख) प्राचार्य, यह सुनिश्चित करेंगे की दैनिक सभी प्रशिक्षुओं के एवं अन्य पुलिस कर्मियों के गिनती हाजरी, पी0टी0, ड्रील एवं खेल आदि वाह्य कार्यक्रम, विधि अनुदेशन कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य सभी कार्यक्रम सिलसिलेवार निर्दिष्ट समय पर सम्पादित हो रहे हैं ।

(ग) बिमार प्रशिक्षु एवं आरक्षी कर्मियों का इलाज का समुचित प्रबन्ध इनके द्वारा किया जायेगा । आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, अस्पताल में चिकित्सा हेतु समुचित प्रबन्ध न हो पाने पर बिमार प्रशिक्षु एवं आरक्षी कर्मियों को भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में ईलाज का समुचित प्रबन्ध इनके द्वारा किया जायेगा ।

(घ) प्राचार्य यह देखेंगें कि, सभी प्रशिक्षु प्रशिक्षण में समुचित रुची ले रहे हैं एवं प्रत्येक प्रशिक्षु एक उपयुक्त आरक्षी बनने के लिए योग्य हैं ।

(ङ) प्राचार्य सभी वाह्य एवं अन्तः अनुदेशकों के कार्य पर पूरी निगरानी रखेंगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुदेशन का स्तर निकृष्ट नहीं हो । अनुपयुक्त एवं अयोग्य अनुदेशकों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करेंगे ।

(च) निकृष्ट स्तर के प्रशिक्षुओं की गतिविधि पर निगरानी रखेंगे एवं ऐसे अयोग्य पाये गये प्रशिक्षुओं के बारे में पूर्ण प्रतिवेदन तैयार कर उनके पैतृक जिला के आरक्षी अधीक्षक तथा आरक्षी उपमहानिरीक्षक (प्रशिक्षण) को सूचित करेंगे ।

(छ) प्रशिक्षण विद्यालय के सभी प्रशिक्षु, आरक्षी कर्मी एवं पदाधिकारी

क्र0/

की सेवा पुस्तिका तथा अन्य प्रासंगिक एवं आनुसंगिक पंजी एवं अभिलेखों के संधारण एवं रख– रखाव के लिए प्राचार्य तथा उनके रक्षित पदाधिकारी जवाबदेह रहेंगे ।

(झ) अपचारी प्रशिक्षु एवं आरक्षी कर्मियों के दण्ड विधान के लिए आवश्यक अनुशंसा पूर्ण प्रतिवेदन के साथ आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर के पास प्रस्तुत करेंगे एवं उनसे आवश्यक आदेश प्राप्त करेंगे ।

(ट) आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय के स०अ०नि०, अ०नि०, जमादार, परिचारी, परिचारी प्रवर, आरक्षी निरीक्षक एवं लिपिक कोटि के कर्मचारियों की गोपनीय चरित्र पुस्ति अंकित करेंगे तथा उसका रख – रखाव करेंगे । कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में वार्षिक अभ्युक्ति इनके द्वारा नियमानुसार अंकित की जायेगी ।

(ठ) आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय के स्थावर एवं अस्थावर सम्पत्ति की सुरक्षा एवं रख– रखाव की जवाब– देही प्राचार्य की होगी । वे अपने देख– रेख में उसके लिए समुचित कार्यकारी बन्दोवस्त करेंगे ।

(ड) प्राचार्य, पुलिस कर्मचारियों एवं प्रशिक्षुओं के कल्याण के बारे में हमेशा जागरूक रहेंगे । किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर उसके निराकरण के लिए वांछित समुचित पदक्षेप लेंगे ।

(ढ) पुलिस अधिनियम, आरक्षी हस्तक एवं पुलिस आदेशों में आरक्षी अधीक्षक के लिए विहित अन्य सभी कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वाह प्राचार्य द्वारा किया जायेगा ।

3. प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर की शक्तियाँ ।

(क) प्राचार्य द्वारा हर कोटि के प्रशिक्षुओं को सत्र के अन्दर मात्र 10 दिन तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं ।

(ख) सभी कोटि के आरक्षी कर्मी एवं पदाधिकारियों को नियमानुसार आकस्मिक एवं क्षतिपूर्ति अवकाश, एक साथ 12 दिन तक, स्वीकृत कर सकते हैं ।

(ग) आरक्षी एवं हवलदार कोटि के पुलिस कर्मियों के लिए 30 दिन तक उपार्जित अवकाश प्राचार्य स्वीकृत कर सकते हैं । आरक्षी निरीक्षक/परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारी को छोड़कर अन्य सभी पुलिस कर्मियों का एवं लिपिकों का उपार्जित अवकाश आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । परिचारी प्रवर एवं आरक्षी निरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों का उपार्जित अवकाश आरक्षी उपमहानिरीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।

(घ) प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षु एवं आरक्षी को पुलिस हस्तक नियम 824(च) (आई) एवं (जि) में दिये गये लघु सजा प्रदान की जा सकती है । अन्य लघु सजा प्रदान के लिए एवं वृहत सजा प्रदान हेतु विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए इनके अनुशंसा की जा सकती है, जिस पर वरीय आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर द्वारा अंतिम

कार्यालय प्रधान के लिए चिहित शक्तियों का उपयोग प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर द्वारा किया जायेगा एवं कर्त्तव्य तथा दायित्वों का निर्वाह किया जायेगा।

5 प्राचार्य पर नियंत्रण

वरीय आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर के नियंत्रक पदाधिकारी होंगे जैसा कि बिहार कोषागार संहिता के अनुसूची : में भी उल्लेख हैं।

(अरूण कुमार चौधरी)
आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 46 /पी02

आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय।
पटना, दिनांक 14 जनवरी 1993

1. प्रतिलिपि महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/अपर आरक्षी महानिदेशक, तकनीकी सेवायें एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/अपर आरक्षी महानिदेशक, बिहार सैन्य बल, बिहार, पटना।

2. प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

3. प्रतिलिपि सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक को सूचनार्थ।

4. प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक (रेलवे सहित) को सूचनार्थ।

5. प्रतिलिपि प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

6 प्रतिलिपि सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित)/सभी समादेष्टा बिहार सैन्य पुलिस को सूचनार्थ।

7. प्रतिलिपि प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर को सूचना एवं आवश्यक क्रियार्थ।

(अरूण कुमार चौधरी)
आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

पंडित/13/1/92

संहिता, कोषागार संहिता, अनुसूची 7, वित्तीय नियमावली एवं छुट्टी नियमावली :